Singh, Kumari Pushpa Devi

Singh Deo, Shri K. P.

Sinha, Shrimati Ramdulari

Soren, Shri Harihar

Subburaman, Shri A. G.

Sunder Singh, Shri

Swami, Shri K. A.

Tewary, Prof. K. K.

Thomas, Shri Skariah

Tudu, Shri Manmohan

Venkatasubbaiah, Shri P.

Verma, Shrimati Usha

Yadav, Shri Ram Singh

Yazdani, Dr. Golam

Zainul Basher, Shri

MR. CHAIRMAN : Subject to correction the result* of the Division is as follows :

Ayes	24
Noes	68

The motion was negatived.

---

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashree Gangwar, Shri Harish Kumar, Rajda, Shri Ratan Singh Kabuli, Shri Abdul Rasheed and Paswan, Shri Ram Vilas.

NOES : Sarvashree Ranjit Singh, Soheng Tayeng and Bishnu Prasad

16.44 hrs.

ANTI-POPULATION EXPLOSION BILL

Shri P. RAJAGOPAL NAIDU: I beg to move :

> "That the Bill to provide for measures to restrict the growth of population in the country, be taken into consideration."

No amendment has been moved to this Bill and, therefore, I think that the whole House is in agreement with this Bill and I am hopeful of its being passed unanimously.

The other day Shrimati Mohsina Kidwai, in reply to a question has said that there is an increase of 25% of the population every decade in our country. The reasons she quoted are that the death-rate has lessened and birth-rate has gone up with the result that there is increase in population. She also said that people of this country have no concern at all for the growth of population. But, I differ from that. But I differ from that. When we got freedom, the population was only about 30 crores. According to the 1981 census, it was about 68 crores. Now it is crossing 70 crores. It is estimated that, by 2,000, it would be about one billion. It, is because of this population growth, the misery is increasing in our country. It is not that our Government has not done anything for the improvement of the people. You can take some of these facts into consideration. For example, in 1950-51 the total irrigated area was 2,08,53,000 hectares whereas in 1976-77 it was 3,47,99 000 hectares. It has increased two fold. In the yield also there has been increase: with regard to rice, in 1950-51 it was 6.7 quintals and in 1978-79 it increased to 13.4 quintals; in regard to wheat, it was 6.6 quintals in 1950-51 and it increased to 15.7 quintals in 1978-79; in jowar it increased from 3.5 quintals to 7.2 quintals in 1978-79; in maize it increased from 5.3 quintals to 10.8 quintals. That means, even the yield has increased to a greate extent. The area under principal crops also has increased In 1970-71 it was 1,01,78,200 hectares and in 1980-81 it was 1,49,48,000 hectares. With all this increase, we are not able to feed our population to our satisfaction. Even now 50 per cent of the population are under the poverty line; they

are under-fed. Everywhere we can see malnurition and spread of diseases among children and women and the weaker sections of the people. When we started creches in Rayalaseema, we could see that in the villages, even in the lower middle class, because of malnutrition, so many people are suffering. In Tirupati where we took up the ICDS project, we could see malnutrition not only in the slum areas but also in the other areas. The people are not dying natural that death; they are dying because they are not having food: that is slow death. Therefore, what I say is that the misery is increasing.

The other nations have controlled their population. in U. S. A. the growth is only 0.9 per cent; in USSR it is only one; in Japan 1.3 per cent; in India it is 2.5 per cent. In U. S. A. the population is only 20 or 22 crores and even if it increases by 0.9 per cent it will not be more, But here it is 70 crores and if the 2.5 per cent increase is taken into consideration, then it will become fantastic. Therefore, we cannot allow this increase in our country. Many scientists who deal with population say that, if this increase is allowed to be continued, then India will not be able to bear the burden of increased population.

Therefore, we must find a way to arrest this. Of course, our Government is doing its best to arrest the grota of population by family welfare measures. That is family planning. But that is not enough. Family planning is voluntary in our country and, therefore, it is not possible for us to arrest the growth of population and it is said that the propaganda regarding family planning has not gone to the grassroot. It may be. But what is the solution ? Are we going to allow the population to grow like this ? Certainly we should not. Therefore, we must bring forward a Bill and pass it, whenein we should restrict the growth of population.

When I was introducing this Bill, Mr. Banatwallah said that it is a draconian Bill, it consists force and that, therefore, it should not be introduced. I differ from him. Always we must protect our country. Protecting our country does not mean merely that we have to protect it from outside forces or to protect them from internal disturbances. we have also to protect them from poverty, from malnutrition, from disease, from want etc. That we have to do. Then there must be some restriction. Our population was only 30 crores when we attained freedom. If it remained at that figure, then I can very well say that we are better than developed countries because we have increased the irrigation potontial, we have increased the yield and we have increased the cropped area. Therefor, therefore there will be no difficulty with regard to supply of food. We are self-reliant to day. But when we got freedom, we used to import foodgrains worth Rs. 3000 crores. Now we are not doing it. That means that we have increased food production. But what I say is : suppose it is distributed among the 30 crores of people. then we would have got much food per capita. Our people are receiving 1800 calories whereas even in other small developed countries they are receiving more then 3000 calories. Suppose our population was only 30 crores, then we would have received 3000 calories at least.

Here it is said that in 1956 we used to have 70 gms of pulses per capita but in 1982 because of the increase in population we are getting only 39 gms. Therefore, it has decreased. In milk, in 1960 we used to have 48 kg of milk per anunm whereas in 1982 we are having only 40 kg. Unemployment has increased. In 1977 it was only 18.7 million and in 1980 it was 20 million. Like that unemployment also has increased. Housing shortage is 21.3 million units. Therefore, I want all the members here to consider where we are going. Our course is very dangerous and I appeal to all the Members to support this Bill.

Here in this Bill I wanted to introduce certain disincentives. I Wanted to restrict the number of children per family to two. If anybody produces more then two children, then he should not be given promotion or appointment or loan or land or any such benefit.

At first it may seen very harsh, but without introducing incentives like these, it will not be possible for us to restrict the population growth. China also once thought that unrestricted growth of population would help the country. But now they have realised the danger. They have now imposed the restriction to only one child per family. But I am liberal in this

respect. I want that the restriction should be upto two children. Therefore, I woul request the hon. Members from both the sides to support this Bill and see that it is passed without much difficulty. I would again request the hon. Members to agree to this Bill being passed by the House without giving any dissent.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति जी, मैं नायडू जी की भावना से सहमत हूं और यह भी मैं मानता हूं कि खाली इन्सेंटिव देने से काम नही चलेगा, कुछ चैक भी लगाने होंगें, कुछ दण्ड का प्रावधान भी करना होगा। तभी जनसंख्या वृद्धि रुकेगी और इससे पहले नहीं रुक सकती।

श्रीमान् गरीबी और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों साथ-साथ चलती हैं। यदि देश की अधिकतर जनसंख्या खुशहाल हो जाए, उनके खाने पीने, पढ़ने-लिखने और रहन-सहन का इन्तजाम सही हो जाए, तो जनसंख्या में अपने आप कमी होना प्रारम्भ हो जाएगी। बेरोजगारी या आधी से अधिक आवादी का गरीबी के स्तर से नीचे रहना, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं लेकिन अब हम उस स्टेज पर आ गये हैं कि जिस में कानून बगैर बनाए, जनसंख्या की वृद्धि रोकना कुछ असंभव सा दीख रहा है। हमने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से उपाय अपनाए हैं, जिनमें नसबन्दी भी है और टेलिसकोपिक विधि से जो नसबन्दी की जा रही है, वह बहुत पापूलर हुई है और औरतें अब उससे सहमत हैं और नसबन्दी करा लेती हैं लेकिन फिर भी जैसा हमारा देश है और जिस प्रकार के अन्धविश्वास और जिस प्रकार की बातें यहां पर चल रही हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि खाली कुछ प्रोत्साहन देने से, कुछ इनाम देने से या कुछ लोगों को नौकरी देने से जनसंख्या वृद्धि को हम अच्छी तरह से नहीं रोक सकते हैं। चीन ने अपनी आबादी बढ़ना रोक दी और इसके लिए उसे काफी कड़े कानून बनाने पड़े। पार्लियामेंट की तरफ से एक हमारी कमेटी वहां गई थी और राजदा साहब भी उसमें गये थे और लौट कर उन्होंने बताया कि फैमीली प्लानिंग के लिए उन्होंने काफी कड़े कानून बनाए हैं। हमारे यहां अगर राशन सब को मिलता रहे और हर साल बाद राशन कार्ड में राशन लेने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो राशन कहां से आएगा, नौकरी कहां से मिलेगी, दवा कहां से आएगी, और शक्कर कहां से आएगी, और दूसरा खाने-पीने का सामान कहां से आएगा और अगर ये चीजें नहीं आएंगीं, तो तन्दुरुस्ती गिरेगी। खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा और रहने को जगह नहीं मिलेगी, तो तन्दरुस्ती अपने आप गिरेगी और तन्दुरुस्ती गिरने पर नुकसान जो होगा, वह देश का होगा। अगर देश के नागरिक कमजोर हैं, कम पढ़े-लिखे हैं और स्वस्थ नहीं हैं, तो वे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। देश उतना ही भूखा-नंगा रहता है, जितना कि उसके नागरिक भूखे-नंगे हैं। इस विषय में मैं समझता हूं कि कोई अधिक बहस की जरूरत नहीं है। हम सिद्धांत रूप में इसको मान चुके हैं कि पापुलेशन पर, जनसंख्या वृद्धि पर चैक होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस राय का हूं कि कोई-न कोई कोर्सिव मेजर भी लिये जाएं। कोर्सिव मेजर के लिए शायद कुछ लोगों को बुरा लगे लेकिन जब तक ऐसे मेजर नहीं लिये जायेंगे कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, उसका राशन कम किया जायेगा तब तक वह बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस कोर्सिव मेजर से तो पीछे गड़-बड़ी हो गई।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अब व्यास जी ने चूंकि इस बात को उठाया है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस तरह के कोर्सिव मेजर के खिलाफ हूं कि किसी बस में शादी

में जा रहे हैं या किसी मौत की में जा रहे हैं और उस बस को पुलिस वाले जबर्दस्ती रोक कर उसमें बैठे सब लोगों की नसबन्दी कर दें। उत्तर प्रदेश में इस तरह से जबर्दस्ती लोगों की नसबन्दी की गई। वहां लोगों की जमानतें नहीं होती थीं। इस तरह के कोर्सिव मेजर के मैं खिलाफ हूं और आपने जो इस तरह के मेजर लिये उन्हीं की वजह से आप ढाई साल तक नाक रगड़ चुके हैं। अगर आप आगे भी ऐसा करेंगे तो आगे भी आप परेशान हो जाएंगे। फिर भी इनके अलावा और भी उपाय हो सकते हैं जो कि लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं और जो लोगों को बोझा भी न लगें। लोगों को जबर्दस्ती भी न लगें। कुछ ऐसे उपाय कीजिए जिनसे कि आसानी से काम हो सके। मगर कुछ ऐसे स्टेप लिये बिना पापुलेशन को चैक नहीं किया जा सकेगा, मैं इस मत का हूं। पापुलेशन को चैक करना देश के हित में है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, हमारे सम्माजित सदस्य जिस भावना से इस बिल को लाये हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस तरह से इस बिल को लाया गया है उसका समर्थन करना मेरे लिए कठिन है। माननीय सदस्य ने इस बिल में जो प्रावधान किये हैं वे एक तरह से हमारे देश की मौलिक भावना के विपरीत बात होगी।

हमारे देश की नेता ने एक वचन दिया है। वह वचन यह है कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन-जागृति और जन-चेतना के आधार पर चलाया जाएगा, जोरजबर्दस्ती से नहीं चलाया जायेगा। इस बिल के पास कर देने के बाद हम लोगों को कठिनाई में डाल देंगे। जो गलती पहले हो गई, उस गलती को हम लोगों को दुबारा नहीं करना है। उस गलती के हमने परिणाम भी भुगते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस भावना से और जिस उद्देश्य से इस बिल को रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस विषय में मेरा कहना है कि यदि हम आजादी मिलने के बाद, सन् 1947 से ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कार्यक्रम को शुरू कर देते और अपने प्रचार माध्यम से जनमानस को जागृत कर देते तो हमें बहुत अधिक सफलता मिल गई होती। हमने शायद यह कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इसमें काफी सफलता मिली। दुःख की बात यह है कि उधर बैठने वाले लोग इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध करते हैं। यदि निहायत तकलीफदेह बात है।

मान्यवर आपको याद होगा, जब एमर्जेंसी लगी हुई थी, उस समय हम यह अभियान चला रहे थे। उस अभियान में जोरजबर्दस्ती करने के लिए हमारी प्रधानमंत्री या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया था। लेकिन उसका बहुत प्रचार किया गया। जय प्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था। छात्र आंदोलन चल रहा था। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के खिलाफ बहुत प्रचार किया गया। सारे हिन्दुस्तान के जनमानस को भ्रमित किया गया। सन 1977 के चुनाव में भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अनहोनी घटना हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने जनमानस को राष्ट्रीय कार्यक्रम के विरोध में खड़ा कर दिया। इन्होंने यह प्रचार कर दिया कि अगर यह सरकार रह गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि कहीं कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन प्रचार किया गया। मुझे याद है जब इन्होंने शाह-आयोग बैठाया बड़े उत्साह से उसको बैठाया गया लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत

साबित हुई । तो मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध करने से पहले कम से कम यह तो सोच लेना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे । इसी तरह से आप देखें कि पंजाब से लेकर आसाम तक यह सारा मामला चला । अन्तर्राष्ट्रीय और उग्रवादी तत्वों ने इसको हवा दी । आतंकवादी तत्व देश को टुकड़े करने में लगे थे । ऐसी राजनीति इन लोगों ने चलाई । ऐसी राजनीति को हवा दी । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले एक भूल इन्होंने की थी । अब दूसरी भूल करने जा रहे हैं ।

आज इस सदन के सम्माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी जी ने इनका मुंह बन्द किया । तर्क से बंद किया । अभी जो माननीय सदस्य बोले वे उस समय उधर नहीं थे । कांग्रेस से चुनाव लड़ के गए हैं । विरोधी दल ने गलत काम किया है, इससे प्रभावित होकर 1980 में इधर जाइन कर गए । फिर किन्हीं कारणों से बहुगुणा जी के साथ उधर बैठे हैं । बहुगुणा जी के साथ कितने लोग हैं ? और क्यों हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में प्रजातंत्र को क्या हो गया है । आज जो कांग्रेस में है, सबेरे आल इंडिया पार्टी बना लेते हैं । कहां से साधन इकट्ठे कर लेते हैं । कोई प्रजा पार्टी है, कोई जनवादी पार्टी है, कोई प्रजातांत्रिक, लोसपा है, हम लोगो के लिए ब्लाक स्तर का कार्यालय ईमानदारी से चलाना मुश्किल है और ये दिन रात आल इन्डिया पार्टी बनाते रहते हैं । तमाम प्रदेशों में पेड लोग लग जाते हैं । अभी वे माननीय सदस्य चले गए हैं । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे राष्ट्र के स्तर पर सोचें ।

आज क्या हो रहा है । जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, अध्यक्ष, बिहार यूनिट के अध्यक्ष को एम एल एज़ की खरीद-फरोख्त के लिए पैसा देते हैं । यह क्या चल रहा है । इसके लिए इधर और उधर बैठने वाले लोगों को राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, सुरक्षा और विदेश में प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाहिए । ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को समर्थन देना चाहिए । यह खुशी की बात है कि 1980 के बाद जब पुनः हम लोग शासन में आए तो जरजरित अर्थ व्यवस्था को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं । गन्ने का उत्पादन बढ़ाया, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया, बिजली का उत्पादन बढ़ाया । लेकिन इन सब के बावजूद अगर पापूलेश का बढ़ना नहीं रुका, इसके लिए जन-जागृति नहीं हुई तो निश्चित तौर से हम पिछड़ जाएंगे । खुशी की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय व्यवस्थित ढंग से पापूलेशन के बढ़ने की हानियों का प्रचार कर रहा है । आज विरोधी दल इसकी खिलाफत करके लाभ नहीं उठा सकते । आज जनता जानती है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं । आज तक ये जनमानस को अशिक्षित और धर्मभीरू समझ कर काम करते रहे हैं । जब देश आजाद हुआ था तो औसत आयु 27 थी जबकि अब 52 हो गई है । मैं जब जापान गया तो देखा कि वहां पर अगर दस करोड़ की पापूलेशन है तो वह दस करोड़ ही रहेगी । उन्होंने स्टेगनेट कर लिया है । चाइना का जो सिस्टम है, वह हम अपने यहां नहीं ला सकते । जो रिसर्च हो रही है, इसका प्रचार ब्लाक और गांव स्तर पर होना चाहिए । यह बात सही है कि महिलाओं में काफी उत्साह आया है । आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी में भी रिसर्च होनी चाहिए जिससे पापूलेशन की रोकथाम में उनसे फायदा उठा सकें । सबसे बड़ी बात जनजागृति की है । हमारे देश में जो उपलब्धियां हुई हैं, वह पापुलेशन की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही हैं । अगली पंचवर्षीय योजना में हमारी 18 खरब की योजना है । मैं चाहता हूं कि परिवार कल्याण की राशि और बढ़ायी जाए । इस काम में जिला और ब्लाक स्तर

पर जो अधिकारी लगे हुए हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। "हम दो-हमारे दो" नहीं होना चाहिए बल्कि "हम दो-हमारा एक" या न हो तो अच्छी बात है क्योंकि सारा देश ही अपना है। इस तरह के नए-नए नारों का प्रचार होना चाहिए। वेद, पुराण, उपनिषद और कुरान का उद्धरण लोगों को बताया जाए जिससे उनमें जागृति आ सके। हमारे जिन माननीय सदस्य ने यह बिल पेश किया है, मै उनकी भावनाओं से सहमत हूं। लेकिन निश्चित तौर से इस बिल के पक्ष में नहीं हूं। जो हमारे नौजवान पापुलेशन रोकने में सहयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हमारे आचार्य जी भी ठीक कह रहे थे, अगर नौकरी देने की बात है तो नौकरी देनी चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों को इस ओर जागृत कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान ने आर्थिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में जो तरक्की की है, उसका रिजल्ट हमें लोगों को दिखाना है। परिवार कल्याण के लिए जो धनराशि आप दे रहे हैं, उसकी मानिटरींग के लिए परिवार कल्याण सैल में अधिकारी होना चाहिए। स्वास्थ्य नीति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, वह भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए किस तरह से आप इसको अधिक इफैक्टिव बना सकते हैं, वह देखना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने सहयोगी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस भावना से वे यहां बिल लाये हैं वह बहुत अच्छी है। लेकिन जिन बातों को मैंने यहां रखा है, यदि उस तरह का कोई बिल आता तो निश्चत तौर पर हम उसका समर्थन करेंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर): चूंकि माननीय सदस्य ने मेरा हवाला देकर बात कही है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यदि अविवाहित रहना चाहे और सरकार को लिख कर दे तो सरकार को ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ इनाम या प्रमाण-पत्र की व्यवस्था करनी चाहिए।

PROF. N,G. RANGA (Guntur) : Mr. Chairman, Sir, I am sure, the whole House would be in favour of the principles underlying the scheme of the Bill of Sri Rajagopal Naidu that there should be legislative and executive measures taken by the government with the cooperation of all parties in Parliment here and also in the legislature at the State level to control population increase. It is a national policy, national objective, but, unfortunately, politics comes in the way and then political parties go against, whichever government tries to take effective steps in the direction in which this Bill if Sri Naidu suggests, also any other coercive direction : and that is how Mr. Panika has alrendy warned the House about the bitter experience that the congress Government has had. not so long ago when they tried to go a little faster than earlier, and than faster than what the general run of people were then prepared to accept.

Therefore, I would like to make a suggestion that whether we are able to accept this Will hear and now or not it is high time for the government as well as for all political parties to have to develop a consensus among themselves and develop a dode of honour so that they would all go to the people unitedly, so far as this particular problem is concerned.

Very soon we are going to face our election. Parliament is going to be re-constituted once again with the cooperation of the masses and with their support. Now, when we go to the people, let us be sincere enough to go and tell them that we are in favour of administrtive, steps to be taken, in favour of the disincentives what all practical disincentives can possibly be thought of unitedly by all of us, minimum or maximum; that we are all in favour of imposing these disincentives, and whichever party comes back again to power, party or parties, whatever it is, all of us will be willing to support a Bill which would be framed and introduced into the next Parliament with the support of that consensus that would reached ; and in order to reach that consensus also we should be willing to put a time limit before

ourselves so that we would not go on dilly-dalilying as usual. It is no good playing with time.

No less a man than Mr. Mao Tsetung, being the very first President of the Revolutionary Government of China thought that he would be able to produce so much food, so much cloth, so much other type of wealth and production all over his great China with all their huge population that there would not be any danger at all of over-population, whatever may be the growth of population. But even he himself came to realise, 15-20 years after his regime, that population control would be necesssary and was necessary, and himself as well as his successors have seen reason to impose very strong disincentives in order to persuade their people to follow family control. Now if that had been the fate or the experience of such a dictatorship as China, and it was a very strong dictatorship, what would be the fate of any Government here in this country ?

17.21 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

If we do not ry and achieve a consensus first of all as all of us take an oath, as we do in the House, then so far as this particular question is concerned, of controlling the population growth, we are not going to make a partisan issue and we should not try to take any party advantage of one party implementing the consensus decisions and the other party as Opposition trying to take advantage of the discontent and disaffection that would arise as a result of that implementation we cannot achieve population control. So it is high time that we take some decision with regard to this particular matter. It is a matter of honour, in fact it ought to be treated as a matter of honour on the part of every political party. I was surprised in seeing that one of our Members taking objection to the very introduction of this Bill because of these compulsory disincentives which are suggested in this Bill. True, there are some people who are wedded to some religion who would like no restriction on the number of people. Even the Roman Catholics in America and England and in other countries have seen reason to agree to have some disincentives. They originally did not agree but later they also felt that this would be beneficial. Unfortunately today as a result of a peculiar political situation that we are having a competitive atmosphere has arisen, or is arising or growing, as between different conmmunities and castes to have more and more people. They being to consider their strength being dependant upon the total numbers of their populations and that is a very dangerous trend. This disease has now affected almost every community. In the educated section of people we are trying to implement family planning by their own voluntary actions or those who are in Government service and various other services also where their standard of living is high, standard of education and awareness of their social responsibility is very high and therefore they are voluntarily resticting the population. With regard to the other people, on the other hand the tendency is towards multiplication. This question of reservations which we have just now discussed, that Bill in regard to reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, such people also are suffering from this disease. Our Muslim friends are suffering wherever they are in a minority. Others are also suffering from this disease. A part from it there are some people also among the manority community who are also suffering from this disease. They are thinking of a competition between one community and another, one cadre of people and another. Because of this we have to fight sedulously and spiritedly and sincerely against this disease, against the spread of this social cancerous atmosphere in favour of producing more and more children, increasing their respective populations and then trying to gain some advantage in the country, and so on

Therefore, on both the fronts we have got to fight and we can do it. In a democratic society as we have today no Government is capable of passing a Bill like this and then implementing it sincerely and whole heartedly because of the fear of the opposition playing ducks and drakes with the people's feelings and prejudices. Whatever Government comes into power, unless and until that Government is supported by the national consensus that is reached by all the political parties sitting together and agreeing to support such a Bill and then supporting that

Government in implementing such a policy, the problem is not going to be solved. Therefore, I am making an appeal to the whole Parliament, just as Mr. Naidu has done earlier, to be united at least on this most important basic thing. The other basic things which people at one time used to say are clothing, housing more consumer industries, more producers industries. All these are necessary. But all these put together would not be enough Unless and until we learn and go the way of controlling the population in a sensible and constructive manner, things will not improve. So, let us agree on this. If it is not possible for all our parties here and now to talk about it openly, let them first of all be true to themselves and to their conscience that when they go to the people and come back in whatever strength, they are going to make themselves responsible for passing a Bill like this and supporting the Government in a sincere and whole-hearted manner.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, विश्व में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, यह एक विकट समस्या है। जिस रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हो रही हैं, कोई 700 वर्षों में पृथ्वी पर आदमी को खड़े रहने के लिये भी जगह नहीं रहेगी।

यह अन्दाजा है कि विश्व में 5 करोड़ 20 लाख वर्गमील जमीन है और इसमें अभी कोई 4 अरब की जनसंख्या हो चुकी है। हर 45 वर्ष के बाद यह जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। यदि भारतवर्ष की आवादी की आप एक फिगर लें तो 1961 में भारत की जनसंख्या 43 करोड़ 9 लाख है। इसमें 36.6 करोड़ हिन्दू हैं, 4 7 करोड़ मुसलमान और 1.1 करोड़ ईसाई, 80 लाख सिख, 30 लाख बौद्ध और 30 लाख जैन वगैरह थे लेकिन आज इन सब की जनसंख्या करीब 70 करोड़ हो गई है। भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, यद्यपि जनसंख्या 45 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, लेकिन यहां थोड़ी सी कमी है।

इसलिये जनसंख्या के आधार पर विश्व के लिए एक भयानक विपदा है जो आगे बढ़े हुए देश हैं, वह सब मिलकर इस पर चर्चाएं और नाना प्रकार की गोष्टियां कर रहे हैं और करनी भी चाहियें। जनसंख्या का नियंत्रण और योजनाबद्ध तरीके से परिवार का नियोजन करना हर देश के लिये आवश्यक है। आज जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। जनसंख्या-वृद्धि की चर्चा होती रही है, मगर अभी तक हम उसकी रफ्तार को रोक नहीं पाए हैं। हमारे यहां जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसको मालूम होगा कि भारतवर्ष में 2.10 करोड़ बच्चे प्रति-वर्ष पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रति-वर्ष देश में एक नया उत्तर बिहार बन जाता है। इसलिये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए।

वस्तुत: इस प्रकार का बिल सरकार की ओर से आना चाहिए था। अभी तक हम भाषण और प्रेरणा देकर परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते आ रहे है, मगर अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि जब तक लोगों को किसी कानूनी पाबन्दी में नहीं लाया जाएगा, तब तक परिवार नियोजन नहीं हो सकेगा और जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार बढ़ती जाएगी। आज हमारे देश में सर्वत्र महंगाई, बेकारी और नाना प्रकार की अन्य समस्याएं हैं। आवास की कमी है। लोगों के रहने के लिए लाखों मकानों की आवश्यकता है। हमारे देश के अधिकांश बच्चे कुपोषण के सिकार हैं, क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। बहुत से लोगों को आधा पेट भोजन मिलता है और बहुत से लोग फुट पाथ पर भूखे सो जाते है। इस स्थिति में हमारे देश में परिवार नियंत्रण के लिए जो प्रयास हुए है, अगर उन्हें नाकाभी और अपर्याप्त कहा जाए, तो अनुचित नहीं होगा।

हम देखते है कि जगह-जगह दीवारों पर लिखा है "हम दो, हमारे दो"। और भी नये

नये आकर्षक नारे बनाए गए है। क्या इन तरीकों से परिवार नियोजन हो जाएगा? आज राजनीति में "हम दो. हमारे दो" की बात चल रही है- मां और बेटे है, दूसरा कोई नहीं है। हम लोगों का इस नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि जनसंख्या-वृद्धि की रफ्तार को घटाना है, तो परिवार नियोजन को कानूनी रूप देना होगा। माननीय सदस्य, श्री पनिका, ने इस विषय पर एक अच्छा भाषण किया और अन्त में कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह क्या तरीका है? या तो सरकार को इस बिल को मंजूर करना चाहिए या स्वयं इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिए, जिससे परिवार नियोजन हो सके।

आज स्थिति यह है कि कई लोग कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि चाहे जितने बच्चे पैदा करो। मुस्लिम और ईसाई धर्म के कई लोग कहते है कि अल्लाह बच्चे देता है और जो देता है, वह खाने को भी देगा।

हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सब नागरिक देश की समस्याओं को समझें। आज सब लोग "हम दो, हमारे दो" के उपदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी के 12 बच्चे हैं, किसी के 16 बच्चे हैं, कोई चार शादियां करते हैं। अगर यही स्थिति जारी रही, तो क्या हमारे देश में परिवार नियोजन हो सकेगा?

जो परिवार नियोजन केन्द्र खुले हुए हैं, उनमें भारी घपला है, भयंकर भ्रष्टाचार है; वहाँ पर समूचे कागज बनाए जाते हैं। अगर उनके आंकड़ों को लिया जाय तो उनके अनुसार तो परिवार नियोजन की वजह से यह संख्या घट कर आधी हो जानी चाहिए, जितने बच्चे प्रति वर्ष पैदा होते हैं उनकी संख्या घट कर सवा करोड़ तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन वह पहुंचे हैं क्या? इतना रुपया उस पर खर्च हो गया, करोड़ों रुपया अभी भी खर्च किया जाता है लूप लगाने में और नसबन्दी करवाने में/उसमें दवा के ऊपर और दूसरे इंसेन्टिव वगैरह के ऊपर पैसा दिखा दिया जाता है। आजकल मोटिवेटर और क्या क्या दिखाकर केवल कागज की खानापूरी कर के करोड़ों रुपया लोग हजम कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर सी बी आई या और किसी तरह की कोई जांच बैठाई गई है?

हम लोगों ने देखा है, हमारे यहां जमुआ एक प्रखण्ड है बिहार में वहां लिस्ट बनाकर दिखा दिया गया कि इतनी नसबन्धी की गई। उसमें 80 वर्ष के बूढ़े और एक ऐसे बच्चे को जिस की शादी भी नहीं हुई थी, उनको पकड़ कर उनकी नसबन्दी जबरन कर दी गई। इस तरह से इसमें बहुत घपलेबाजी और भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है। इसीलिए यह परिवार नियोजन अमल में अभी तक नहीं आया है और यह तब तक नहीं आएगा जब तक कानून बनाकर हर परिवार के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर दी जायगी कि चाहे वह किसी धर्म, मजहब या पंथ को मानने वाला हो, कानून की दृष्टि से सबको एक समान स्तर पर लाकर सब के साथ ईक्टवलिटी बिफोर ला का व्यवहार नहीं होगा। कानून की दृष्टि से सबके साथ एक समानता का व्यवहार होगा तभी जाकर यह परिवार नियोजन हो पाएगा अन्यथा यह कभी भी नहीं होगा। हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि यह राष्ट्रीय विपदा है और इसको खत्म करने के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से काम करना होगा। सब का संतुलित विकास इसका लक्ष्य होना चाहिए। तभी जाकर सबको न्याय मिलेगा। आज तो मत्स्य न्याय चल रहा है, बीकर इन दि इन्टरेस्ट आफ स्ट्रांगर की बात चल रही है। जितने कमजोर हैं वह बड़े चालाक लोगों के औजार बने हुए हैं, उनके इन्टरेस्ट में उनका शोषण होता है।

यही कारण है कि विभिन्न नियोजनों और नौकरियों वगैरह में हरिजन आदिवासियों और गरीबों के बच्चों को जगह नहीं मिल पाती। देश काल और परिस्थिति के अनुसार यह होना स्वाभाविक है। क्योंकि कम स्थान होंगे और अधिक लोग प्राप्त करने वाले होंगे तो मानी हुई बात है कमजोर लोगों के साथ न्याय होना सम्भव नहीं है।

इसलिए यह कानून बनाया जाय कि जो अधिक बच्चे पैदा करेंगे जैसे दो से अधिक तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो 200 रुपया, चौथा या पांचवा पैदा करेंगे तो 5 सौ और उससे अधिक करेंगे तो 1 हजार रुपया जुर्माना और उसके लिए सलाना कर उनको देना पड़ेगा, अगर इस तरह से कोई कानून बनाया जाय और इस तरह की बात लायी जाय तो हर व्यक्ति बिना सरकार के मोटिवेशन के, बिना अनाप शनाप पैसा खर्च किए परिवार नियोजन करेगा। लेकिन इस तरह की व्यवस्था चूंकि आज नहीं है इसलिए इतना भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। सरकार अगर इस दिशा में कार्यवाही करे तो पापुलेशन की जो बिकरालता है और जिसके कारण आज हम ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए हैं जिसका विस्फोट होने ही वाला है, उससे बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए कानून की शरण लेनी पड़ेगी। यह जो बिल माननीय सदस्य लाये हैं यह तो कम्प्रीहैंसिव भी नहीं है और सब प्रकार के प्रावधान भी उसमें नहीं है लेकिन अधिक से अधिक प्रावधान उसमें करके और समाज के हर धर्म, जाति या वर्ग के लोगों को इस कानून के दायरे में ला सकें तो हम इसमें सफल हो सकते हैं और परिवार नियोजन में कामयाब हो सकते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, यह एँटी पापुलेशन एक्सप्लोजन बिल जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसकी जो भावना है उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन विधेयक में जो क्लाजेज हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

हमारी सरकार ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को वालन्टियर कार्यक्रम मानकर इस कार्यक्रम को बढ़ाने का संकल्प किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रजातन्त्र के युग में हम जनता को समझा बुझाकर, उनके हृदयों में परिवर्तन कर उनके दिमागों को बनाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता हुई थी, जबकि हमारे देश की प्रधान मंत्री को जनसंख्या का नेतृत्व करने के लिए, भारत द्वारा किए गये प्रयत्नों को उस समय अन्तरराष्ट्रीय मान्यता मिली, जब 30 सितम्बर, 1983 को न्यूयार्क में विशेष समारोह में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का पुरस्कार मिला। हमने वालन्टियर ढंग से कार्य शुरू किया और उसका प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव का असर यह हुआ कि हमारी प्रगति 1979-80 की तुलना में 1982-83 में दुगुनी हो गई। परिवार नियोजन के अन्तर्गत 1979-80 में 55 लाख व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया। जबकि 1982-83 में 109.4 लाख दम्पतियों ने परिवार नियोजन का कोई न कोई तरीका अपना करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम जब से महिला नसबन्दी का कार्यक्रम आया है, तब से इस कार्यक्रम को बहुत ही रिसपांस मिल रहा है।

हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहां की महिलायें इस कार्यक्रम को पसन्द करती हैं और आजकल तो दो-तीन मिनट में आपरेशन भी हो जाता है। इस वजह से उनके कार्य में एक दिन की भी बाधा पैदा नहीं होती है और वह काम अच्छी तरह से कर पाती है। ऐसे आपरेशन कामयाब हुए हैं। मैं यह सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस देश में हर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में एक सर्जन

की व्यवस्था की जाए, तभी यह कार्यक्रम ज्यादा आगे बढ़ सकता है। मैं अपने बाड़मेर जिले की बात कर रहा हूं वहां तीन ट्रेंड सर्जन हैं, एरिया बड़ा विस्तृत है और पंजाब प्रान्त के बराबर है। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में कैसे दो-तीन सर्जन इस कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं। उसमें कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है।

मैं पंचायत समितियों की मीटिंग में बराबर उपस्थित हुआ हूं। काफी सरपंचों में बड़ा उत्साह था। वे चाहते थे कि हमारी पंचायत समिति के लैवल पर व्यवस्था की जाय, पंचायत समिति के लैवल पर सभी जगह प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में महिला दूरबीन नसबंदी के लिए योग्य सर्जन हों। तो पंचायत समितियों के पंच, सरपंच, ग्रामीण पंचायतें सभी एक्टिव होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। । इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यदि हमें अधिक खर्चा करना पड़ तो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कुछ भी संशय हों, उन संशयों को दूर करना चाहिए। वैसे किसी ने भी इस विषय में कोई संशय नहीं उठाया है। अब प्रश्न यह है कि महिला नसबंदी की सफलता कितनी है, यह प्रश्न इन्वैस्टिगेशन का है, यह प्रश्न जांच का है और यह प्रश्न रिसर्च का है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आने चाहिए।

जैसा मेरे एक मित्र ने बतलाया कि आयुर्वेद में भी इस प्रकार की दवायें हैं जिनको लेने से तीन-चार वर्ष तक सन्तान नहीं होती है, मेरी दृष्टि में यह भी एक अच्छा तरीका है। ऐलोपैथी में भी इस प्रकार के गर्भ-निरोधन के उपाय करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी जब ऐसी दवा है तो हमें उसकी रिसर्च भी करनी चाहिए और रिसर्च करके उस प्रणाली को अपनाना चाहिये।

इस कार्यक्रम में हम यह देखते हैं कि रेस्पोंस बहुत अच्छा है, महिलायें भी चाहती हैं, परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन किया जाय, सीमित परिवार रखा जाय, तब फिर जैसा इस बिल में कहा गया है उस तरह की सख्ती करने की क्या आवश्यकता है। आप ने कहा है कि उनको लोन नहीं दिया जायगा, उनके प्रमोशन पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, मैं समझता हूं यह तरीका ठीक नहीं है। हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति है कि जब भी कोई नया कार्यक्रम आता है और उससे लाभ होता है तो लोग उसको अपना लेते हैं। जैसे खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो कार्यक्रम आये वे बहुत सफल हुए। बाजरे के नये बीज का कार्यक्रम आया, वह बहुत सफल हुआ और किसानों ने उसको अपना लिया। इसी तरह से परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी लोग खुशी से अपनाने को तैयार हैं। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे जाएं, उनमें परिवार नियोजन पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं हमारे यहां पंचायत समितियां बनी हुई हैं, उनमें इस कार्यक्रम के लिये कम्पीटीशन करायें और जो पंचायत समिति अच्छा काम करे उस के विकास के लिये आप अलग से कुछ राशि दें। उसको दो-तीन लाख रुपया प्रति वर्ष विकास के लिये दिया जाय। इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारे एन० आर० ई० पी० के काम हैं वे ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा खोले जायं उनके यहां सड़कों के लिये और दूसरे विकास के कामों के लिये अधिक से अधिक इन्सैन्टिव्ज दिये जाएं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले।

हमने अब तक इस दिशा में जो कदम उठाये हैं और पिछले चार-पांच वर्षों में जो विकास हुआ है, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण

विश्वास है कि उनके हृदयों में परिवर्तन करके हम इसमें अवश्य सफल होंगें। इस में सन्देह नहीं है कि हमें इस काम के लिये डेडिकेटेड वर्कर्स की जरूरत है। हमारी पार्टी और जितनी अन्य पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को इस काम के लिये आगे आना चाहिए। अब इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि लोग इस कार्यक्रम को नहीं अपनायेंगे।

मैं कुछ पंचायत समितियों की मीटिंग्ज़ में गया। हमारे यहां चौहटन पंचायत समिति है, शिव पंचायत समिति है, वहां मुस्लिम पापुलेशन ज्यादा है। उनके अन्दर प्रगति इस लिये धीमी है कि हमारे मुसलमान भाई इसको कतई नहीं अपनाते। हमारी स्वास्थ्य मंत्रीजी महिला हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे दूसरी मुस्लिम कन्ट्रीज़ इस कार्यक्रम को अपना रही हैं, उनके दिमागों में यह भावना पैदा की जाय कि मज़हब की तरफ से इस काम में कोई रुकावट नहीं है। हमें बहुत सरल हिन्दी भाषा में इसके बारे में साहित्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उनकी भ्रांति को दूर करने के लिये 16 पृष्ठ या सम्भव हो तो 8 पृष्ठ की ही कोई पुस्तिका निकाली जाय जिस में उनको बतलाया जाय कि इण्डोनेशिया, तुर्की तथा अन्य देशों में इस कार्यक्रम को अपनाया गया है, मज़हब ऐसी रुकावट नहीं डालता कि आप इसको न अपनायें।

पिछले दिनों मैं चौहटन की पंचायत समिति में गया, वहां प्रधान उपस्थिति नहीं थे, जो उपप्रधान थे वह मुसलमान थे। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठती थी और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। जब यह कहा गया कि ग्राम पंचायतों का जो इस का लक्ष्य है, उसको पूरा किया जाए, तो शैड्यूल्ड कास्ट्स वाले जितने सरपंच थे, वे तैयार हो गये और दूसरे जो पंच थे, वे तैयार हो गये परन्तु जो मोहम्मडन सरपंच हैं, वे इसके लिए ज्यादा तैयार नहीं हुए और उनके दिमाग में यही रहा कि दूसरों की जो पापूलेशन है, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या हिन्दू हैं, वे परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति करें। इस तरह से हमारे जो मोहम्मडन भाई हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। हमें उनके दिमाग को बदलना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को प्रजातान्त्रिक तरीके से और महात्मा गांधी के सिद्धातोंको अपनाते हुए पूरी तरह से अपनाना है और मुझे विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। हमने मृत्यु दर को कम करने में काफी सफलता पाई है। 1951 में जहां मृत्यु दर प्रति हजार 27 थी, वह 1981 में घटकर 12.5 प्रति हजार रह गई है और अब हमारा लक्ष्य 9 प्रति हजार का है। इस तरह से हमने मृत्यु दर में अवश्य कमी की है। जहाँ तक जन्म दर का संबंध है, 1951 में यह 42 प्रति हजार थी और 1981 में यह घटकर 33 प्रति हजार हो गई है और अब हमारा लक्ष्य इसको 21 प्रति हजार करने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे, तो हमें इसमें सफलता मिलेगी। न केवल सरकार को बल्कि सभी को इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। विधेयक में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं एक शेर करता हूं :

मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।

जैसे-जैसे गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि आबादी को घटाया जाए या एक

स्तर पर रखा जाय, वैसे-वैसे गवर्नमेंट इसमें नाकाम होती जा रही है और मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी होनी चाहिए "फ्यू बर्थस एण्ड वेरी फ्यू डेथ्स'। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि देश का कल्याण होगा क्योंकि देश में आबादी बढ़ने से जमीन नहीं बढ़ती है। पहले जब आजादी हमें मिली थी, तो जतनी जमीन उपलब्ध थी, हर आदमी में अगर मसावी बांटते, तो एक आदमी को करीब एक एकड़ जमीन मिलती लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण एक आदमी के हिस्से आधा एकड़ जमीन भी नहीं आती है। अगर मसावी तरीके से जमीन बांटी जाए, तो आधा एकड़ जमीन आती है और इसमें अनाज भी पैदा करना है, मकान भी बनाना है, मन्दिर भी बनाना है और गुरुद्वारा भी बनाना है। इन चीजों के बनने के बाद सारी अच्छी जमीन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हमारे यहां जो बहतरीन जमीन होती थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने झुग्गी झोंपड़ी बना ली। गांव के बाजू में और शहर के बाजू में ऐसी बहुत सी जमीन है और उससे लोगों को लाखों करोड़ों रुपये की आमदनी हो गई है लेकिन इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है जोकि आंखों को दीखता नहीं है। हवा में आक्सीजन है लेकिन वह आक्सीजन दिन व दिन घटती जा रही है और मुंह से जो सांस लेते हैं, तो उसमें कार्बन डाईआक्साइड होती है और जब हवा में यह ज्यादा होगी, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने का बहुत खतरा है। हमारे जो बाप-दादा और परदादा थे, उनसे ज्यादा हम को चीजें मिलती हैं लेकिन फिर भी उनसे हमारी हैल्थ खराब है और आबादी ज्यादा होने से यह सबसे बड़ा खतरा है। देश की कुव्वत संख्या पर निर्भर नहीं है। हम 70 करोड़ हैं और हमारा देश इतना बड़ा है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि "क्वालिटी आफ दि पीपुल इज वेरी नेसेसरी"। हर साल 1 करोड़ 70 लाख बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं। अब अगर एक करोड़ चालीस-पचास लाख की आबादी हर साल बढ़ेगी तो बढ़ी हुई आबादी के बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कैसे हो सकेगा, पढ़ाई का इन्तजाम कैसे हो सकेगा, पुस्तकों का इंतजाम कैसे हो सकेगा, पढ़ाने वालों का इन्तजाम कैसे हो सकेगा। इस तरह से मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।

चाइना में इस मामले में बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है और वे आबादी को रोकने में बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहां डेमोक्रेसी है और हम लोगों को समझा-बुझा कर ही काम लेना पड़ता है। अगर हमारी आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो वह दिन आने वाला है कि चाइना से हमारी आबादी बढ़ जायेगी। आबादी के बढ़ने के साथ-साथ हमारी सहुलियतें भी कम होती जायेंगी।

सभापति जी आप तो गांव के रहने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि गांव के बच्चे किस तरह से पढ़ने के लिए तालुका हेडक्वार्टर में जाते थे। अपना खाना साथ ले जाते थे। रास्ते में किसी नदी या नहर के किनारे बैठ कर खाना खाते और पानी पीते थे। लेकिन आज कल वे चीजें कहां मिलती हैं क्योंकि पोल्युशन बढ़ रहा है। पापुलेशन तेजी से बढ़ रहा है तो पोल्युशन भी बढ़ रहा है। हमारी प्राइम मिनिस्टर आज बड़ी मुस्तैदी से इस पोल्युशन की तरफ ध्यान दे रही हैं।

हमारी आबादी के बढ़ने से देश का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि हमारे जंगलात कटते जा रहे हैं। हिमालय में हमारे जंगलात बर्बाद हो रहे हैं, कन्ट्रीसाईड में जंगलात बर्बाद हो रहे हैं। अगर जंगल खत्म हो गये तो हिमालय की और कंट्रीसाइड की खूबसूरती खत्म हो जायेगी।

मैने कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखा कि जगह जगह पर लकड़ी के कारखाने लगे हुए हैं, वहां के जंगल कट रहे हैं। मैंने वीरभद्र सिंह से जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, कहा कि यदि जंगलों के कटने की यही रफ्तार रही तो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती खत्म हो जायेगी और वहां लोग जाना बंद कर देंगे।

ये सब चीजें हैं: हमें हर आदमी को परसुएशन से समझाना है। उसे बताना है कि एक बच्चे को पालने में, पढ़ाने-लिखाने में कम से कम 10 हजार से 15 हजार रुपए लगते हैं। अगर आदमी बच्चे कम पैदा करें तो उनका कम खर्चा होगा और गवर्नमेंट भी इस काबिल होगी कि उन पर ज्यादा खर्च कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को समझा-बुझा कर इस काम को तेजी से करवाना चाहिए।

यह कहा जाता है कि मुसलमान चार-चार शादियां करते हैं। कुरान में है कि जो आदमी मां की हालत अच्छी रखे, बच्चों की परवरिश अच्छी करे, वही शादी करे। कुरान में लिखा है कि बीवी और बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तो वह जमाना नहीं है कि मुसलमान चार-चार शादियां करें। वह जमाना गया जबकि फाख्ता उड़ाते थे। अब सारे मुसलमान एक ही शादी करते हैं। आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो तीन-चार बीवियां रखता हो। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि मुसलमान चार-चार शादियां करते हैं। मुसलमान लोग भी अपने-अपने तरीके से सन्तान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में तेजी से कदम उठायें और यह बतायें कि वे क्या कदम उठा रहे हैं।

18.00 hrs.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल चेयरमैन, रेड्डी जी ने अभी कहा है कि पापूलेशन का जहां तक ताल्लुक है, हमारे यहां पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों की तालीम पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत करते है, बड़ी परेशानियों में मुत्तिला होते हैं और उसके बाद भी उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वे उनके ऊपर बोझ बनते हैं। इसका इलाज इसी तरह से हो सकता है कि आबादी को कम किया जाय। लेकिन मसला इतना आसान नहीं है। असल में हमारी आबादी अधिकतर गांव में रहती है। वहां पर रहने वाले किसान का रिश्ता जमीन से है। दस्तकारों का रिश्ता औजारों से है। सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कोई खास तब्दीली नहीं आई है। कुछ चन्द लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े-बड़े ओहदों पर पहुंचा पाए हैं। बाकी आबादी का मसला बड़ा गंभीर है। आज भी किसान सोचता है कि उसके जवान लड़के.लड़कियां होंगी तो जमीन के काम में उसकी मदद होगी। औरतें भी जमीन में बराबर काम करती हैं। दस्तकार सोचता है कि मेरे जवान बच्चे हों जो औजारों पर काम करने में मेरी सहायता कर सकें। यही सिलसिला चला आ रहा है। यह मसला तब बदल सकता है जब आप किसान को यकीन दिलायेंगे कि उसको उसकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। हमने अपने बुनियादी पैटर्न को नहीं बदला है। लोगों को जो हमने वादा किया, उसके मुताबिक हम चल नहीं सके। रेड्डी जी चीन के बारे में कह रहे थे। चीन में तो बुनियादी चीजों में तब्दीली की गई। मुकम्मल तरीके से समाजवाद लाया गया। यही हाल रूस में है, पोलैंड में हैं, चैकोस्लोवाकिया में है, बलगारिया में है और बाकी स्टेट्स में हैं। हमने नाम तो सोशलिज्म का

लिया, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं दिया। बेजमीन किसान, हरिजन किसान और अन्य लोगों को जबरदस्त कोशिश के बावजूद घर चलाने में कठिनाई होती है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जवान होकर उनकी सहायता करेंगे। हम उनको रोक नहीं सकते हैं। आज महंगाई बढ़ती जा रही है और उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज किसान और दस्तकार की मेहनत और कशमकश बढ़ती जा रही है।

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, किसानों और मजदूरों की बात करने से पहले वे अपने आपको आईने में देखें। उनकी स्थिति क्या है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कौन सी स्थिति ? कहीं आप जम्मू कश्मीर की स्थिति पर तो बोलने नहीं जा रहे हैं ?

आचार्य भगवान देव : क्या आपने चीन, पोलैंड और एशिया में जाकर देखा है जो इतना ठोक-बजाकर बात कर रहे हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमने जो कुछ पढ़ा और समझा है, उसकी बिना पर कह रहे हैं। हमें आपसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। जो हम महसूस कर रहे हैं, वही कह रहे हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां यह कशमकश बढ़ती जा रही है। आज मजदूर चाहता है कि उसके जवान बच्चे हों जो उसकी सहायता करें। आज किसान चाहता है कि उसके लड़के हों जो जमीन चलायें। इसके लिए हमें बेसिक बातों को बदलना होगा। हम जिस दिन किसान को एश्योर कर देंगे कि उसको उसकी मेहनत के मुताबिक मुआबजा मिलेगा और असेंशियल कमोडिटीज के दाम नहीं बढ़ेंगे, उस दिन आप इन चीजों को अमल में ला सकते हैं। आज लोगों की जिंदगी जब उनके ऊपर बोझ नहीं बनेगी तब यह बात हो सकती है। मैं रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बुनियादी चीजों के बारे में कहता हूं कि आप बुनियादी चीजों को तस्लीम करके चलें और जो समाज का तरीका मुद्दत से चला आ रहा है, उसको बदलें।

समाज का अपना एक रास्ता है, जिस पर वह चल रहा है। आज हिन्दुस्तान में जो पढ़े-लिखे लोगों की आबादी है, वही हिन्दुस्तान की आबादी नहीं है। हिन्दुस्तान की आबादी है, किसान मेहनतकश और जो मिल में काम करने वाला मजदूर है। उसकी अपनी समस्यायें हैं। उसको हल करने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक इन्कलाब लाना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि आबादी के तनाखों को ताकत से कम किया जाए तो वह नहीं हो सकता। इस मुल्क में एमरजेंसी लगाई गई। मुजफ्फर-नगर मेवात और हरियाणा में जो कुछ हुआ उसकी कीमत रूलिंग पार्टी को चुकानी पड़ी। उससे आपको सबक लेना चाहिए। आप अपनी वैल्युज बदल दीजिए। आप, गरीब मजदूर को बिल्कुल रियायत नहीं दे रहे हैं जिसके लिए वह मुस्तहिक है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम आबादी को कम करायेंगे। जबर्दस्ती से यह मसला हल होने वाला नहीं है। इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब मानने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को इस बात का शक है कि मुसलमान शायद इस आबादी के मामले से इत्तिफाक नहीं करता, यह गलत बात है। अभी एक ऑनरेबल मैम्बर ने टर्की और इन्डोनेशिया की बात कही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी यह कोशिश जारी है कि आदमी को एक हद तक रखा जाए। इस्लाम का जो कंसेप्ट है, वह इससे टक्कर नहीं खा रहा है बल्कि जहां मां की जिन्दगी का सवाल हो तो इस्लाम के नजदीक इसकी जिन्दगी की कीमत ज्यादा है बनिस्बत इसके कि बच्चे

ज्यादा हो और वह इलाकत में पड़ जाए। इस बारे में जो गलतफहमी है, उसको मैं दूर करना चाहता हूं। जहां तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, उनको अफहाम तफहीम से साथ लेकर चलने की जरूरत है। इस मुल्क की जातियों में ऐसा टकराव पैदा हो गया है, वे सोचती हैं कि कहीं हम दूसरे से पीछे तो नहीं हैं। जो जहनियत इस मुल्क की है, उसका मुकाबला करना है। हिन्दू, सिख, मुसलमान और इसाईयों में अच्छा तालमेल तभी हो सकता है जबकि मजहब का सही इन्टरप्रिटेशन किया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि इस्लाम इस मामले में कोई रुकावट बनता है। इस्लाम तो एक क्रान्तिकारी मजहब है। जो चार शादियों का सिलसिला है, उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के मुसलमान तो दूसरी शादी करने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। कुछ समाजी मसायल थे जो अरब मुल्कों में पैदा हुए और जहां मर्द, औरतों को सहारा नहीं दे पाए तो पशे-मंजर में उन औरतों को सहारा देने के लिए इस्लाम ने कहा है। जंग के हालात होने की वजह से उन औरतों की सोशियो-इकोनामिक कंडीशन सही नहीं थी तब इस्लाम ने सहारा देने की बात कही।

कुरान में यह कहा गया है कि :एक मुसलमान चार शादियां कर सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा अगर तुम एक पर ही कनात करो। खुदा ताला का फरमान है कि चार कर सकते हो, लेकिन मुनासिब यही होगा कि एक ही पर कनात करो। क्यों कि इन्साफ नहीं हो सकता। जहां तक इस्लाम के बारे में यहां कहा गया है, इस्लाम में लिखा है कि यदि कोई चार सादियां करें तो चारों के साथ बराबर का सलूक हो, सब के साथ इंसाफ हो और ऐसा कोई आदमी कर नहीं सकता। इस बिना पर यह कहा गया कि बेहतर है एक ही शादी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चन्द लोग जिन्होंने इसका फायदा उठाया होगा, कुछ एक्सप्लायटेशन किया होगा या कुछ मजबूरी में या इक्तसादी वजह से किया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान में पूरे मुसलमानों में एक अक्सीरियत इस असूल पर कायम है कि मर्द एक औरत के साथ शादी करेगा। यही खान्दान का यूनिट है। इसको हमने हिन्दुस्तान में कायम रखा है।

आखिर में, आनरेबल चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में तालीम की काफी जरूरत है और इस मसले को समझाने के लिए बेसिक एजूकेशन मिलनी चाहिए। हम अपने आप पर जिस किस्म की हिप्पोक्रैसी या बनावटी किस्म की सिबिलाइजेशन ठोंस रहे हैं, उस का खात्मा करना होगा। पूरे हिन्दुस्तान में बच्चों की तालीम में सैक्सोलोजी को हिस्सा बनाना होगा, तमाम किस्म की बातें उनको समझानी होंगी ताकि बलूगियत की हालत तक आते आते उनको पता चले कि आबादी को किस हद तक रोक रखना मुनासिब होगा और एक मर्द और औरत का होना किसी खांदान के लिए कितना जरूरी और मुनासिब है। उसकी परवरिश के लिए भी यह जरूरी है ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से अंजाम दे सके। यह एजूकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए।

इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हिन्दुस्तान की अपनी सिविलाइजेशन है, उसकी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जिन्सी जिंदगी का/को पूरा नौलेज हो सके।

जहां तक यहां पर आयुर्वेदिक और यूनानी किस्म की दवाईयों की बात कही गई, वह भी निहायत अहम है। हम हिन्दुस्तान के लोग इस बात से डरते हैं कि औपरेशन करना पड़ेगा या इस किस्म की सख्त तेज दवाईयां होंगीं, अथवा औपरेशन वगैरह अगर हिन्दुस्तान को अपनी रवायतों के मुताबिक

आयुर्वेदिक और यूनानी ढंग से इलाज किया जाएगा। बताया जाय कि अब अगला बच्चा तुम्हारी मर्जी से ही पैदा हो गया। अंग्रेजी इलाज से नसबंदी हो गई, और कहा गया अगला बच्चा अब पैदा नहीं होगा तो इससे लोग भागते हैं। यह एक साइक्लौजिकल चीज है, इन सारी बातों को मद्देनजर रखना होगा।

यही अल्फाज मैं आनरेबल मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहता था और उम्मीद करता हूं कि वे मेरी बात को समझेंगी।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): آنریبل چیئرمین، ڈپٹی جی نے ابھی کہا ہے کہ پاپولیشن کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے بچوں کو نوکری نہیں ملتی۔ اس لئے وہ ذہنی طور پر بوجھ بنتے ہیں۔ اس کا علاج اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے۔ لیکن مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اصل میں ہماری آبادی ادھیکتر گاؤں میں رہتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے کسان کا رشتہ زمین سے ہے۔ دستکاروں کا رشتہ اوزاروں سے ہے۔ صدیوں سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کچھ چند لوگ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ باقی آبادی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ آج بھی کسان سوچتا ہے کہ اس کے جتنے لڑکے لڑکیاں ہوں گی تو زمین کے کام میں اس کی مدد ہوگی۔ عورتیں بھی زمین میں برابر کام کرتی ہیں۔ دستکار سوچتا ہے کہ جتنے بچے ہوں جو اوزاروں پر کام کرنے میں میری سہایتا کر سکیں۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ تب بدل سکتا ہے جب آپ کسان کو یقین دلا دیں گے کہ اس کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ ہم نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو نہیں بدلا ہے۔ لوگوں کو جو ہم نے وعدہ کیا اس کے مطابق ہم نہیں چل سکے۔ ریڈی جی چین کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ چین میں تو بنیادی چیزوں میں تبدیلی کی گئی۔ مکمل طریقے سے سماجواد ہو گیا۔ یہی حال روس میں ہے۔ پولینڈ میں ہے۔ چیکوسلوواکیہ میں ہے۔ بلغاریہ میں ہے اور باقی اسٹیٹس میں ہے۔ ہم نے نام تو سوشلزم کا لیا لیکن کسانوں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیا۔ ہندوستان میں کسان، مزدور اور غریب لوگوں کو زبردست کوشش کے باوجود گھر چلانے میں کٹھنائی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جوان ہو کر ان کی سہایتا کریں گے۔ ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج کسان اور دستکار کی محنت اور کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔

آچاریہ بھگوان دیو: سبھاپتی مہودے، کسانوں اور مزدوروں کی بات کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں۔ ان کی استھتی کیا ہے۔

شری عبدالرشید کابلی: کون سی استھتی؟ کہیں آپ جموں کشمیر کی استھتی پر تو بولنے نہیں جا رہے ہیں۔

آچاریہ بھگوان دیو: کیا آپ نے چین، پولینڈ اور رشیا میں جا کر دیکھا ہے جو اتنا ڈھول بجا کر بات کر رہے ہیں۔

شری عبدالرشید کابلی: ہم نے جو کچھ پڑھا اور سمجھا ہے اس کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔

میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مزدور چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بچے ہوں جو اس کی سہایتا کریں۔ آج کسان چاہتا ہے کہ اس کے لڑکے جتنے ہوں جو زمین میں ہل چلائیں۔ اس لئے ہمیں بنیادی چیزوں کو بدلنا ہوگا۔ ہم جس دن کسان کو ایشیور کر دیں گے کہ اس کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا اور اسینشیل کموڈیٹیز کے دام نہیں بڑھیں گے اس دن آپ ان چیزوں کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ آج لوگوں کی زندگی جب ان کے لئے بوجھ نہیں بنے گی تب یہ بات ہو سکتی ہے۔ میں ایڈاپشن کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن میں بنیادی چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ بنیادی چیزوں کو تسلیم کر لیں اور جو سماج کا طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو بدلیں۔

سماج کا اپنا ایک راستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج ہندوستان میں جو پڑھے لکھے لوگوں کی آبادی ہے وہی ہندوستان کی آبادی نہیں ہے۔ ہندوستان کی آبادی ہے کسان، محنت کش اور جو ملوں میں کام کرنے والے مزدور

ہے۔ آدمی اپنی سمسیا حل نہیں کر سکتا۔ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اوپر سے نیچے تک انقلاب لانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ آبادی کے تناسب کو طاقت سے کم کیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں ایمرجنسی لگائی گئی۔ مظفر نگر، میوات اور ہریانہ میں جو کچھ ہوا اس کی قیمت رولنگ پارٹی کو چکانی پڑی۔ اس سے آپ کو سبق لینا چاہیے۔ آپ اپنی ویلیوز بدل دیجئے۔ آپ غریب مزدور کو بالکل رعایت نہیں دے رہے ہیں جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو کم کرائیں گے۔ زبردستی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس ملک میں مختلف قسم کے مذاہب ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ مسلمان شاید اس آبادی کے معاملے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے۔ ابھی ایک آنریبل ممبر نے ٹرکی اور انڈونیشیا کی بات کہی۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ کوشش جاری ہے کہ آبادی کو ایک حد تک رکھا جائے۔ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس سے کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ جہاں تک زندگی کا سوال ہو تو اسلام کے نزدیک اس زندگی کی قیمت زیادہ ہے بہ نسبت اس کے کہ بچے زیادہ ہوں اور وہ بعد میں مر جائیں۔ اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ہندوستان کے مسلمانوں کا تعلق ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی جمہوریت میں ایسا کچھ پیدا ہو گیا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم دوسروں سے پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے۔ جو ذہنیت اس ملک کی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہندو، سکھ، مسلمان اور عیسائی میں ایک تال میل تبھی ہو سکتا ہے جب کہ مذہب کا صحیح انٹرپریٹیشن کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس معاملے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے۔ اسلام تو ایک ترقی پسند مذہب ہے۔ جو چار شادیوں کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمان تو دوسری شادی کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ سماجی مسائل تھے جو عرب ملکوں میں پیدا ہوئے اور جہاں مرد عورتوں کو سہارا نہیں دے پاتے تھے۔ ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے اسلام نے کیا ہے۔ جنگ کے حالات پیدا ہونے کی وجہ سے ان عورتوں کی سوشیو اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی تب اسلام نے سہارا دینے کی بات کہی۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن ساتھ ہی بہتر ہوگا اگر تم ایک پر ہی قناعت کرو۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چار کر سکتے ہو لیکن مناسب یہی ہوگا کہ ایک ہی پر قناعت کرو کیونکہ انصاف نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اسلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ بیوی کو اگر چار شادیاں کرے تو چاروں کے ساتھ برابر کا سلوک ہو۔ سب کے ساتھ انصاف ہو اور ایسا کوئی آدمی کر نہیں سکتا۔ اس بنا پر یہ کہا گیا بہتر ہے ایک ہی شادی ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چند لوگ جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا، کچھ ایکسپلائیٹیشن کیا ہوگا یا کچھ مجبوری میں یا اقتصادی وجہ سے کیا ہوگا لیکن ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان میں اکثریت اس اصول پر قائم ہے کہ مرد ایک عورت کے ساتھ شادی کرے گا۔ یہی خاندان کا یونٹ ہے۔ اس کو ہم نے ہندوستان میں قائم رکھا ہے۔

آخر میں آنریبل چیئرمین صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کافی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیسک ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ پر جس قسم کی ڈیموکریسی یا بنیادی قسم کی سیکولرزم [illegible] اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمارے ہندوستان میں بچوں کی تعلیم میں سیکس ایجوکیشن کو حصہ بنانا ہوگا۔ تمام قسم کی باتیں ان کو سمجھانی ہوں گی تاکہ بلوغیت کی حالت تک آتے آتے ان کو پتہ چلے کہ آبادی کو کس حد تک روک رکھنا مناسب ہوگا اور ایک مرد اور عورت کا ہونا کسی خاندان کے لیے کتنا ضروری اور مناسب ہے۔ اس کی پرورش کے لیے بھی [illegible] ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ یہ ایجوکیشن ہے۔ بچے کو ملنی چاہیے۔

اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی کہ ہندوستان کی اپنی سیکولر نیشن ہے اس کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کو جنسی زندگی کا پورا پتہ لگ سکے۔

جہاں تک بیان ہے آیورویدک اور یونانی قسم کی دوائیوں کی بات کہی گئی وہ بھی نہایت اہم ہے۔ ہم ہندوستان کے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا یا اس قسم کی سخت و تیز دوائیاں ہوں گی [illegible] وغیرہ۔ اگر ہندوستان کی اپنی روایتوں کے مطابق آیورویدک اور یونانی ڈھنگ سے علاج کیا جائے گا تب یہ پتہ چلے گا کہ اب اگلا بچہ تھوڑی مدت سے ہی پیدا ہوگا۔ انگریزی علاج سے نس بندی ہو گئی اور کہیں اگر بچہ اب پیدا نہیں ہوتا تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔

یہی الفاظ میں آنریبل منسٹر تک پہنچانا چاہتا تھا اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے۔

*श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मेरे दोस्त यहां एक नया बिल लेकर तो

आ गए परन्तु इस बिल का एक भी क्लाज लागू नहीं हो सकता, किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। इस बिल को लाने में उन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं तो इसकी एक-एक क्लाज को पढ़ कर यह समझने लगा कि किस वातावरण में हमारे दोस्त ने इन क्लाजेज को बनाया होगा। एक जगह कहा गया है—

> "If a person is already an official, he shall pay one-fifth of his salary as fine for every extra child per month."

अगर एक आफिसर की बीबी कह देती है कि यह बच्चा इनका नहीं है तो चलिए मामला खत्म हो गया। यदि वह नौकरी में है और उसकी बीबी आकर बयान देती है कि यह बच्चा इनका नहीं है तो क्या होगा। आप इस कानून को अच्छी तरह पढ़िये। आखिर हमारे लैजिस्लेशन की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वह हर कानून को देखे। घर में तो कोई भी कह देगा कि यह मेरा बच्चा नहीं है, औरत साथ ही नहीं रहती है।

MR. CHAIRMAN : You are going deep into the matter.

श्री मूलचन्द डागा : चेयरमैन साहब आप तो काफी बात कहेंगे—

> "A person having more than two children shall not be allotted any land or granted any loan......"

हिन्दुस्तान की जनसंख्या में से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यदि आप उनसे कह दें कि अब वे जमीन नहीं मांग सकते, उन को कोई एलाटमेंट नहीं होगी, जब कि हमारी गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हैं, आई आर डी पी प्रोग्राम के तहत, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं और जिन एक करोड़ 15 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें उड़ीसा भी शामिल हैं। आपका प्रदेश भी काफी गरीब है। राजस्थान तो काफी आगे बढ़ गया है। लेकिन एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं और यहां लिखा हुआ है—अब बेचारा गांव का आदमी जिसको कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसको आपने कह दिया "A person having more than two children ..." shall be deprived of all these facilities. यह कहां का नया कानून आप बनाने जा रहे हैं? एक ओर सरकार कहती है गरीबी रेखा के जो नीचे हैं

> "A person having more than two children......"

गरीबों को तो पता नहीं है कि क्या कानून है। पहले तो कम्पलसरी शिक्षा कीजिये। हर आदमी शान से जिन्दगी जीना चाहता है। लेकिन उसको आप निखारिये। सरकार का काम था आर्टिकिल 48 (5) को लागू करने का। पढ़े लिखे लोग अपने आप अपने जीवन को संवारते हैं। उनको सिखाना चाहिये। मुझसे पहले बोलने वाले लेक्चर दे रहे थे, संविधान में लिखा है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, जीने का ढंग आना चाहिए। जब यह आ जायगा तो लोग अपने आप सुखी हो जायेंगे। बेरोजगार का दिमाग शैतान का कारखाना होता है :

An idle man's brain is a devil's workshop.

तो सवाल बेकारी मिटाने का और शिक्षा देने का है।

> "A person having more than two children shall not be given any employment in Government or any quasi-government organisation or local body or any private institution."

यह नौकरी वालों के लिये है। लेकिन जो आदमी आजाद है, यानी नौकरी नहीं करता उसका क्या होगा? मंत्री महोदय ने भी इस बिल को देखा होगा, यह कैसा कानून है। आप कैसा कानून चाहते हैं? देश की 70 करोड़

आबादी है, उसमें काम यानी नौकरी करने वाले कितने हैं ? बाकी के लोगों से आप कैसे वसूल करेंगे । जो नौकरी करने वाला है उसको 20 रु० महीना देना पड़ेगा । और क्या देगा । बड़े सुन्दर क्लाजेज लिखे हैं ।

क्लाज 5 सब-क्लाज (2) "If a person who is not an official कोई मजदूर है, खेतिहर मजदूर है— ... has more than two children, he shall pay to the Government Rs. 20/- per month as fine for every extra child if that person is having any property"

उसके पास यूटेंसिल्स हैं वह भी प्रोपर्टी है । क्या प्रौपर्टी की डेफीनीशन है ? जो आदमी सुबह कमाता है और शाम को खाकर मस्जिद में या पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर के सो जाता है उसके कोई प्रौपर्टी नहीं है, तो उससे आप क्या लेंगे ? ऐनी प्रौपर्टी । जिन्दगी से बढ़ कर कौन सी चीज है? A person having property has more than two children, उसको 20 रु० देना पड़ेगा, और नहीं होगी तो उसको 10 रु० देना पड़ेगा । कहां से देगा ? आदमी को कुर्क नहीं किया जा सकता, आदमी को सजा नहीं दी जा सकती ।...

MR. CHAIRMAN : He should have consulted you in all these things.

श्री मूलचन्द डागा : आदमी को जेल में डाल नहीं सकते । सिविल कोड कहता है कि जिसके पास ज्यादा प्रापर्टी है वह एफिडेविट दे, लेकिन जिसके पास है कुछ नहीं, वह क्या करे ? इन सारे क्लाजेज को हमारे मंत्री जी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इम्पलीमेंट करें । एक क्लाज है...

"A person having more than two children"

यह कब से लागू होगा । मुझे पहले तो मालूम नहीं और आपने आज इसे लागू कर दिया तो इससे लोग मर जायेंगे ।

मेरे ख्याल से आपने लोगों को अच्छा विचार दिया है । श्री अटल बिहारी जी तो पहले से ही आपका कानून मानते हैं और हमारे लिये तो काफी कानून हैं । इसलिये आपसे प्रार्थना है, मंत्री जी भी प्रार्थना करेंगे कि आप इस बिल को वापिस ले लें और आपने इस पर कहने का अच्छा मौका दिया है ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति जी, इस बिल के मुताल्लिक डागा साहब ने बहुत नुक्ताचीनी की है । मैं समझता हूं कि बिल की भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन भाव अच्छा है । इसमें बताया है कि यह कैसे हो सकता है ।

आज फैमिली प्लानिंग का कोई असर नहीं है । मैं गांव में रहता हूं, वहां भी आपने फैमिली प्लानिंग का सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन जो लोग वहां आते हैं, वह वहां पर किसी से मिलते ही नहीं है । वहां कोई फैमिली प्लानिंग का कार्य नहीं है ।

थोड़ा समय हुआ, मेरे पास एक रिश्तेदार आया अपने लड़के को लेकर जो बी.ए. पास था । कहने लगा कि जब तक इसकी नौकरी नहीं लग जायेगी जाऊंगा नहीं । 7 दिन मेरे पास बैठा रहा । मैंने बड़ी मिन्नत कर के उसको भेजा और कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको नौकरी मिल जाये ।

मेरा कहना यह है कि जितने भी आतंकवादी हैं, यह बेकारी की वजह से हैं । यह कानून से कुछ नहीं होगा, ख्यालात से होगा । लोगों को कैसे बदलना चाहिए, इस काम के लिए मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए । रास्ते में पब्लिक लैटरीन पर लोगों की लाइन लगी रहती है । इसकी भी लोगों को सुविधा नहीं है । इस तरह की समस्या को हल करना है । इसके लिये लोगों को समझना चाहिये तब जाकर काम बनता है ।

लोग सिगरेट पीते हैं। मैं भी एक रुपये की एक सिगरेट पीता था। जब मैंने महात्मा गांधी की किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सिगरेट से केन्सर हो जाता है। इसके बाद मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी। मैं रोज दो-चार आदमियों को समझाकर सिगरेट पीना उनसे छुड़वा देता हूं, मैं समझता हूं कि इससे हमारा फायदा है।

> "Every work you do is done for your own benefit, is done for your own salvation God has not fallen into ditch, you have to pull him out you are pull him out by building a hospital or something of that sort. He orders you to work not in order to help him but help your-self. You think that even an ant will die without your help. Strike the word 'help' from your mind."

> "You worship when you give a morsel of food to a dog; you workship the dog as a God, because He is all and is in all."

'S Vivekanand'

रास्ते में आते-जाते हम देखते हैं कि हमारे देश में कितनी गरीबी है और लोग किस तरह की जिन्दगी बिता रहे हैं। क्या यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी है? हम एम पीज को रहन-सहन की सब सहूलियतें मिली हुई हैं। हम लोगों को चाहिये कि हम अपने आप को मिशनरी बनाएं और सोसायटी को बदलने और उसको सुधारने का काम करें।

अभी जो मेम्बर बोले हैं, उन्होंने कहा कि काश्तकारों को अपनी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती है। मैं भी एक काश्तकार हूं। मैं खुद हल चलाता था। पहले एक एकड़ में 8 मन अनाज पैदा होता था, जबकि आज एक एकड़ में 40 मन अनाज पैदा होता है। उन्हें खुद फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान देना चाहिये, क्योंकि अगर उनके ज्यादा बच्चे होंगे, तो उनकी जमीन बंट जाएगी।

मैंने 1951 में ही इस देश में फैमिली प्लानिंग की जरूरत महसूस की थी। चूंकि इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए नतीजा यह है कि देश की आबादी 40 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो गई है। आज हमारे देश में लोगों को आम जरूरत की चीजें नहीं मिलती हैं। इसीलिए वे बीमारियों के शिकार होते हैं और कई इलाकों में कीड़ों-मकोड़ों की तरह मरते हैं। हर एम पी और एम एल ए को और हर ऐसे आदमी को, जिसको खाने के लिए रोटी मिलती है, मिशनरी स्पिरिट से काम करते हुए जोसाइटी को ऊंचा उठाना चाहिए।

जहां तक फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक है, महात्मा गांधी ने बताया है कि किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने लिखा है :—

> "The conquest of lust is the highest endeavour of a man or woman's existence. Wihout overcoming lust man cannot hope to rule over self. And without rule over self, there can be no swaraj or Ram Rajya Rule of all without rule of oneself would prove to be as deceptive and disappointing as a painted toy-mango, charming to look at outwardly, but hollow and empty from within."

हम लोगों को भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिये। महात्मा गांधी की महानता इस बात में थी कि दूसरों को ठीक करने से पहले वह अपने आप को ठीक करते थे। आज बहुत लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है और हम लोग बड़े शानदार कपड़े पहने फिरते है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आज हिन्दुस्तान एक तरह से चिगड़ महल्ला बन गया है।

18.29 hrs.

[MR. SPEAKER in the chair]

आज बड़े शानदार और ऊंचे लेक्चरों से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को अपने

आप को ठीक करना चाहिये । हम लोग यह तहैया करें कि हम रोज एक दो आदमियों को सिग्रेट पीना बन्द करने और फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाएंगे । अगर हम अपने मुल्क और कौम के लिए अच्छा काम करेंगे, तो उससे हमारा खुद का भी भला होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं ।

DISCUSSION RE : WHITE PAPER ON PUNJAB AGITATION—Contd.

18.30 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER : Now we resume discussion on the White Paper.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao) : I was submitting that in view of the upsurge of the religious fundamentalism in all religious groups and communities in this country, if we want to prevent the resurgence and recurrence of the type of tragedy we have witnessed in the Punjab, we must get down from sermons on secularism and put a ban on communal organisations. For this it is necessary that the Government and Opposition Parties should reach a national consensus on—(1) ban on communal parties and (2) in view of the role of the SGPC and the politicisation of the SGPC in the Punjab agitation, it is necessary to prevent people holding political affiliations from occupying office bearer positions in any religious institution.

Sir, whenever this sort of situation arises any developing country, all the imperialist force are back to their game of destabilisation to regain control of the globe, and therefore, it is not at all surprising that in the case of Punjab also, foreign forces and external elements have been at work by actively supporting and encouraging and working behind the secessionist elemenits. The visible part of the foreign hand is Pakistan. President Zia of Pakistan, while professing peace and friendship with India, has actively been supporting the secessionist movement in the Punjab. Look at the statement of Pakistan's Defence Minister, Mr. Talmur at Lahor just thirty miles away from Amritsar. He was talking about" the massare of thousands of Muslims and Sikhs." He has stated, for instance in NAWA-E-WAQT on 27th June 1984 that—"What has happened now in the Indian Punjab is more than what happened in the Jalianwala Bagh massacre. By praying in the Golden Temple, Mrs. Gandhi cannot wash away the blood stains of these killings on her clothes. I have sympathy with the Sikhs at a personal level. We should always raise our voice wherever there is tyranny. Thousands of Sikhs and Muslims are being massacred."

Then, the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Yaqub observed that troops must be withdrawn from Amritsar. A Minister of Pakistan Govenment, a Government of the troops and by the troops, is asking for withdrawal of troops from Amritsar.

We must be alarmed in view of the various remarks made by President Zia. In an interview with the Illustrated Weekly of India, he was talking about peace and friendship with India. It was admittedly informed that Pakistan is going to make a nuclear bomb. We must strengthen our relations with Pakistan, no doubt. But we must be alert to see that we do not fall a prey to the public relations campaign of President Zia who while professing friendship with India, is at the same time encouraging the divisive forces in the country Sir, I would like to say that there are many other forces behind Pakistan. Today we heard a statement on how the West German Government has refused to release Parminder Singh, a well know criminal, involved in many crimes.

All I want to say is that the external forces will not succeed if the people in this country remain together. Therefore, the need of the hour is for unity, for reiterating secularism, not only through words but also through deeds, secularism which is the corner-stone of unity of this nation. United we nust stand.

———